

2024 724

फर्द अहकाम  
(नियम 15)

16.12.2024

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ  
श्रवण कुमार बनाम सुल्तान आदि  
वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट प्रकरण संख्या 58 वर्ष 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
25.11.2024	वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के बाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा 29.11.2024 को पेश हो।	
<p>अनिल कुमार सुलोचना मन्शा</p> <p>वकील</p> <p>29.11.2024</p>	<p>27.11.2024 वकील द्वारा जर्बन पत्र भिजल पेशी पेश करने पर पत्रावली को पेशी में लिखा गया। कुलार् फरिडेन आशिर 1 वरी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 20 ने मजिस्ट्रेट कार्यालय राजीवगंज पेश किया जिसे कार्यालयी कार्रवाई फाईल किया गया। पत्रावली वाले जकाब खैर आईन्दा ता 29.11.2024 को पेश हो।</p>	<p>श्रवण कुमार सुल्तान</p> <p>हनुमान राजपूत</p>
<p>16.12.2024</p>	<p>कुलार् फरिडेन उपरिपत्रा स्टेट जकाब प्रार्थ उक्त वदस बुझी गठी। पत्रावली का उपरोक्त कल डिग गया। पत्रावली पर उपरोक्त डिगरी काटि व वरी प्रतिवादी के राजीवगंज के आचार पर वाद वरी डिगरी किया जावा है। पूर्ण डिगरी सम्बन्धित डिगरी अलग के निजाया जाकर कार्रवाई फाईल डिगरी जके। पत्रावली तब्लर के कम की जाकर काटि वरी व तकरील जाकर साखिल दफतर हो।</p>	<p>प्रदीप NISHU Kromel विनीत शरजित माधु जाधरी</p>

अनिल कुमार  
सुलोचना  
मन्शा  
वकील

श्रवण कुमार  
सुल्तान  
हनुमान  
राजपूत  
प्रदीप  
NISHU  
Kromel  
विनीत  
शरजित  
माधु  
जाधरी